

अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2021 (RCMS 2021/65) (RTI-212561547931529) श्री विजय कृष्ण कौशिक निवासी श्रीपति कुन्ज, 12 पूजा कॉलोनी, मेनरोड, श्रीगंगानगर - 335001 (मोबाईल नं. 98293-81500) बनाम प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक उपस्थित नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि श्री नीरज शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए और निवेदन किया अपीलार्थी को वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है औ प्रार्थी प्रथम अपील वापिस लेने हेतु लिखित में आवेदन भी किया गया है कि उसे वांछित सूचना प्राप्त हो गई है और वह इससे संतुष्ट है इसलिए वह प्रथम अपील वापिस लेना चाहता है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना दिनांक 04.03.2021 से प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2021 के द्वारा जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

विजय कृष्ण कौशिक एवं अन्य डी.आर.ए. ऑफिस की फाइलों का निरीक्षण करना चाहते है इसके लिए आप मुझे समय देवें।

जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक डीआरए/आरटीआई/2019/987 दिनांक 26.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्री विजय कृष्ण कौशिक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के संबंध में पत्र क्रमांक 515 दिनांक 25.03.2021 से प्रार्थी को आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर ही पत्रावली का अवलोकन करने हेतु समय देते हुए विवरण सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने तक कार्यालय में संपर्क नहीं किया गया था एवं प्रथम अपील दायर कर दी गयी थी।

प्रार्थी/अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 08.06.2021 को कार्यालय में संपर्क किया गया एवं इकबाल हुसैन पुत्र भूरेखां की पत्रावली का अवलोकन करने का निवेदन करने पर प्रार्थी को इकबाल हुसैन पुत्र भूरेखां के सनद हेतु प्रार्थना पत्र से संबधित पत्रावली का अवलोकन करवाकर चाही गयी नकलें भी उपलब्ध करवा दी गयी है। प्रार्थी ने प्रथम अपील वापिस लेने हेतु लिखित में निवेदन किया है जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

संलग्न प्रा.पत्र दिनांक 08.06.2021 की प्रति।

-sd-

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी
जिला राजस्व लेखा शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूँकि अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक को दिनांक 08.06.2021 को वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है। इसलिए वह अपनी अपील वापिस लेना चाहता है इस आशय का पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी की अपील निष्प्रभावी हो गई है। इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर